

स्वीकृत्यादेश

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
झारखण्ड,
हिनू, रांची।

विषय:-

जमशेदपुर शहर अन्तर्गत "(A) Tata Timkan Main Road to Babuduh Basti Road, Bhuiyadih Park to Main Road (Kali Mandir), Bhuiyadih Nirmal Nagar Road & Cross Road, Babudih Main Road to Jharna Ghat Road (Length - 4.00 Km.) एवं (B) Birsanagar Thana Main Road (Ganesh Sweets) to ice cream factory Siddhu Kanhu Main Road & Link Road, Ganesh Sweets to Birsanagar Zone 8 Hari Mandir, Sarna Puja Asthal & Link Road, Kali Mandir to Zone No. 6 upto Culvert Road (Length - 4.00 Km.) (कुल लम्बाई- 8.00 कि0मी0) का राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality)/मजबूतीकरण कार्य" हेतु रू0 8,88,05,000/- (आठ करोड़ अठ्ठासी लाख पांच हजार रू0) मात्र के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।


आदेश:-

उपर्युक्त कार्य के लिए कुल रू0 8,88,05,000/- (आठ करोड़ अठ्ठासी लाख पांच हजार रू0) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।


2. प्रस्तावित दोनों पथ जमशेदपुर शहर की महत्वपूर्ण पथ है। पथों की स्थिति जर्जर है। कार्यहित में उक्त पथों के उन्नयन हेतु राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) / मजबूतीकरण कार्य कराया जाएगा।
3. इस निर्माण कार्य में होने वाला व्यय झारखण्ड सरकार के पथ निर्माण विभाग के व्यय शीर्ष-"मुख्य शीर्ष-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय/उप मुख्य शीर्ष-03-राज्य राजमार्ग/लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना/उप शीर्ष-01-वृहद सड़कें/विस्तृत शीर्ष-05- निर्माण- 45-निर्माण कार्य"के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, जमशेदपुर होंगे, तथा इस राशि की निकासी कोषागार, जमशेदपुर से की जायेगी।
5. इस कार्य को निम्न वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के अनुरूप पूरा किया जाएगा:-

<u>वित्तीय वर्ष</u>	<u>वित्तीय लक्ष्य</u>	<u>भौतिक लक्ष्य</u>
2023-24	रू0 355.22000 लाख	40%
2024-25	रू0 532.83000 लाख	60%


6. मुख्य अभियंता (या0), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची इस कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रतिमाह नियमित रूप से करेंगे।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे यह देखें कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरुद्ध राशि व्यय की जा रही है जिसे दूसरे श्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है तो इसकी निकासी को रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देंगे।
8. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।
9. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।


सरकार के अपर सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।


- ज्ञापांक- प0नि0वि0/06-योजना-106/2023 - 469(5) दिनांक- 02/02/24
- प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता (याता0) पथ निर्माण विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, चाईबासा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. इस स्वीकृति में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु राशि का प्रावधान सम्मिलित नहीं है।
 3. इस स्वीकृति में आकरिमकता व्यय की राशि सम्मिलित है, जिसके आवंटन हेतु अधियाचना के साथ उचित प्रयोजन दर्शाया जाना आवश्यक होगा।
 4. कार्यपालक अभियंता की यह जिम्मेवारी होगी कि संबंधित विभाग/प्राधिकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने एवं पूर्व के कार्य के Defect Liability Period के समाप्ति के उपरांत ही निविदा की कार्रवाई एवं निर्माण कार्य किया जाय।
 5. मुख्य अभियंता (या.) पथ निर्माण विभाग, राँची कार्य की अद्यतन प्रगति की समीक्षा कर प्रतिमाह अभियंता प्रमुख को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।


सरकार के अपर सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।


- ज्ञापांक- प0नि0वि0/06-योजना-106/2023 - 469(5) दिनांक- 02/02/24
- प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग झारखण्ड, राँची का प्रकोष्ठ/आयुक्त, कोल्हाण प्रमंडल, चाईबासा/उपायुक्त, जमशेदपुर/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/ विशेष पदाधिकारी (या0) पथ निर्माण विभाग झारखण्ड, राँची/अपर सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव (प्र0) पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता (योजना एवं अण्वेषण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/ कार्यपालक अभियंता (I एवं II) मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/योजना पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/ सहायक अभियंता (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, प्रशाखा-12, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची एवं सम्बन्धित प्रशाखा पदाधिकारी को (पाँच प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

- ज्ञापांक- प0नि0वि0/06-योजना-106/2023 - 469(5) दिनांक- 02/02/24
- प्रतिलिपि :- प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण), झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

- ज्ञापांक- प0नि0वि0/06-योजना-106/2023 - 469(5) दिनांक- 02/02/24
- प्रतिलिपि :- सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-06, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सभी सम्बन्धित को ई-मेल (E-mail) से भेजने एवं ई-प्रोक्योरमेंट सेल, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को वेबसाईट www.jharkhand.gov.in/road पर upload करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।